सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 60

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	4028.07	4.29	4032.36	4361.65	13.56	4375.21	3643.85	6.40	3650.25	4058.61	12.62	4071.23
वसूलियां	-3.54	...	-3.54	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	4024.53	4.29	4028.82	4361.65	13.56	4375.21	3643.85	6.40	3650.25	4058.61	12.62	4071.23
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	72.99	...	72.99	88.83	...	88.83	77.97	...	77.97	89.18	...	89.18
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*72.95*	...	*72.95*	*88.83*	...	*88.83*	*77.97*	...	*77.97*	*89.18*	...	*89.18*
1.02 कला एवं संस्कृति	9.12	...	9.12	12.97	...	12.97	8.91	...	8.91	13.82	...	13.82
1.03 सूचना एवं प्रचार	367.62	...	367.62	453.00	...	453.00	354.94	...	354.94	460.77	...	460.77
	-2.34	...	-2.34	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*365.28*	...	*365.28*	*453.00*	...	*453.00*	*354.94*	...	*354.94*	*460.77*	...	*460.77*
निवल	*447.35*	...	*447.35*	*554.80*	...	*554.80*	*441.82*	...	*441.82*	*563.77*	...	*563.77*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. प्रसार भारती												
2.01 प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	235.40	...	235.40	370.00	...	370.00	173.90	...	173.90	316.00	...	316.00
3. सूचना												
3.01 विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार	184.20	...	184.20	220.00	...	220.00	103.40	...	103.40	188.00	...	188.00
3.02 मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम	19.69	...	19.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.03 मानव संसाधन विकास	3.00	...	3.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- सूचना	*206.89*	...	*206.89*	*220.00*	...	*220.00*	*103.40*	...	*103.40*	*188.00*	...	*188.00*
4. फिल्म												
4.01 विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार	56.46	...	56.46	101.94	13.56	115.50	57.11	6.40	63.51	110.00	12.62	122.62
4.02 फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम	57.58	2.87	60.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4.03 राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	7.85	...	7.85	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.04 चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजनाएं	...	...	...	30.00	...	30.00	3.80	...	3.80	1.59	...	1.59
जोड़- फिल्म	*121.89*	*2.87*	*124.76*	*131.94*	*13.56*	*145.50*	*60.91*	*6.40*	*67.31*	*111.59*	*12.62*	*124.21*
5. जनसंचार												
5.01 अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन	1.29	...	1.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5.02 आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना	12.46	...	12.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- जनसंचार	*13.75*	...	*13.75*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण												
6.01 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र का सुदृढ़ीकरण	17.60	1.42	19.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.02 भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	3.29	...	3.29	4.50	...	4.50	2.12	...	2.12	3.84	...	3.84
6.03 मिशन डिजिटलीकरण	2.46	...	2.46	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.04 प्रसारण विंग का स्वचालन	1.86	...	1.86	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण	*25.21*	*1.42*	*26.63*	*4.50*	...	*4.50*	*2.12*	...	*2.12*	*3.84*	...	*3.84*
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**603.14**	**4.29**	**607.43**	**726.44**	**13.56**	**740.00**	**340.33**	**6.40**	**346.73**	**619.43**	**12.62**	**632.05**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता												
7.01 प्रसार भारती	2889.36	...	2889.36	2889.36	...	2889.36	2725.10	...	2725.10	2640.11	...	2640.11
	-1.16	...	-1.16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*2888.20*	...	*2888.20*	*2889.36*	...	*2889.36*	*2725.10*	...	*2725.10*	*2640.11*	...	*2640.11*
7.02 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे	29.56	...	29.56	49.40	...	49.40	37.97	...	37.97	58.48	...	58.48
7.03 एसआरएफटीआई कोलकाता	19.91	...	19.91	67.55	...	67.55	45.35	...	45.35	87.92	...	87.92
7.04 बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)	3.18	...	3.18	3.90	...	3.90	3.67	...	3.67	3.90	...	3.90
7.05 भारतीय जनसंचार संस्थान	24.33	...	24.33	61.30	...	61.30	41.41	...	41.41	65.00	...	65.00
7.06 भारतीय प्रैस परिषद	8.86	...	8.86	8.90	...	8.90	8.20	...	8.20	20.00	...	20.00
जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	*2974.04*	...	*2974.04*	*3080.41*	...	*3080.41*	*2861.70*	...	*2861.70*	*2875.41*	...	*2875.41*
कुल जोड़	***4024.53***	***4.29***	***4028.82***	***4361.65***	***13.56***	***4375.21***	***3643.85***	***6.40***	***3650.25***	***4058.61***	***12.62***	***4071.23***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	9.12	...	9.12	12.97	...	12.97	8.91	...	8.91	13.82	...	13.82
2. सूचना और प्रचार	818.86	...	818.86	967.29	...	967.29	641.37	...	641.37	971.26	...	971.26
3. प्रसारण	3123.60	...	3123.60	3218.56	...	3218.56	2870.31	...	2870.31	2921.11	...	2921.11
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	72.95	...	72.95	88.83	...	88.83	77.97	...	77.97	89.18	...	89.18
5. सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	...	4.29	4.29	...	13.56	13.56	...	6.40	6.40	...	12.62	12.62

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**4024.53**	**4.29**	**4028.82**	**4287.65**	**13.56**	**4301.21**	**3598.56**	**6.40**	**3604.96**	**3995.37**	**12.62**	**4007.99**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	74.00	...	74.00	45.29	...	45.29	63.24	...	63.24
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**74.00**	**...**	**74.00**	**45.29**	**...**	**45.29**	**63.24**	**...**	**63.24**
कुल जोड़	**4024.53**	**4.29**	**4028.82**	**4361.65**	**13.56**	**4375.21**	**3643.85**	**6.40**	**3650.25**	**4058.61**	**12.62**	**4071.23**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
अन्वेषण और उत्पादन												
1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्टस इंडिया लिमिटेड	...	192.54	192.54	...	247.02	247.02	...	228.21	228.21	...	247.02	247.02
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	-0.69	-0.69	...	6.61	6.61	...	1.41	1.41	...	...	...
जोड़-अन्वेषण और उत्पादन	**...**	**191.85**	**191.85**	**...**	**253.63**	**253.63**	**...**	**229.62**	**229.62**	**...**	**247.02**	**247.02**
जोड़	**...**	**191.85**	**191.85**	**...**	**253.63**	**253.63**	**...**	**229.62**	**229.62**	**...**	**247.02**	**247.02**

1.01. **सचिवालय:** इसमें मुख्य सचिवालय, प्रधान लेखा कार्यालय और वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय शामिल है। युक्तिकरण के पश्चात, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक और नियमित स्वरूप के कार्यकलापों अर्थात मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) (फिल्म मीडिया के लिए एचआरडी के तहत एफटीआईआई और एसआरएफटीआई घटक के सिवाय) मिशन डिजिटीकरण और प्रसारण विंग के स्वचालन को वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्य सचिवालय के साथ मिला दिया गया है।

1.02. **कला एवं संस्कृति:** इसके अंतर्गत (i) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण पर किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। इसके अलावा, पूंजीगत भाग, सीबीएफसी के उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार और प्रमाणन प्रक्रिया को भी वित्तीय वर्ष 2020-21 से सीबीएफसी के साथ मिला दिया गया है।

1.03. **सूचना एवं प्रचार:** 1.03 सूचना एवं प्रचार - इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्लिखित माध्यम एककों पर किए जाने वाले स्था पना संबंधी व्य य को कवर किया जाता है:-

(i) लोक संपर्क और संचार ब्यू रो – इसमें कार्यकलापों अर्थात विज्ञापन एवं अन्यो मुद्रित सामग्रियों के साथ-साथ रेडियो, टेलीविजनों, प्रदर्शनियों एवं अन्यत्र बाह्य प्रचार मीडिया के जरिए प्रचार अभियान, फिल्मे शो, मीडिया कार्यक्रमों के सीधे चित्रण, फोटो प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के जरिए विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। उपर्युक्त के अलावा, युक्ति करण के कारण स्थापना व्यय के तहत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) स्कीम के विलयन के साथ, बीओसी में वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी स्कीम के तहत इसके संगत आवंटन शामिल है।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) - यह सरकार तथा प्रेस के बीच एक संपर्क माध्यम का कार्य करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्ययकताओं को पूरा करता है। फोटो प्रभाग के कार्य भारत के प्रधानमंत्री तथा उप राष्ट्रापति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करना है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु दृश्य प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसे वित्त वर्ष 2019-20 से पत्र सूचना कार्यालय के साथ आमेलित कर दिया गया है। उपर्युक्तो के अलावा, युक्ति करण के कारण स्थापना व्यय के तहत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) के विलयन के साथ, पीआईबी में वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी स्कीम के तहत इसके संगत आवंटन शामिल है।

(iii) प्रकाशन विभाग - यह मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के व्यय के लिए प्रावधान करता है, जो अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्त कों, पत्रिकाओं और अन्य् मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्लाइमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है। उपर्युक्त के अलावा, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के तहत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) के विलयन के साथ, प्रकाशन विभाग में वित्ती य वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी स्की म के तहत इसके संगत आवंटन शामिल है।

(iv) न्यू मीडिया विंग - इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान गवेषणा तथा संदर्भ प्रभाग के लिए है जिसे न्यू़ी मीडिया विंग के रूप में पुनर्नामित किया गया है जो मंत्रालय तथा उसके माध्यम एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मीडिया के हित से जुड़े विषयों पर मूलभूत सूचना एकत्र करने तथा उनकी तुलना करने का कार्य करता है।

(v) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) - समाचारपत्रों/ आवधिकियों के लिए शीर्षकों के सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनका सत्यापन करने का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/आवधिकियों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है। उपर्युक्त के अलावा, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के तहत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) के विलयन के साथ, आरएनआई में वित्ती य वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी स्कीम के तहत इसके संगत आवंटन शामिल है।

(vi) इसमें संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीईय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान एशियाई प्रसारण विकास संस्था न (एआईबीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्री य अभिलेखागार संगठनों की सहायता का अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्ट्रेशन संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

(vii) इसमें स्थापना व्यंय शामिल है:

(क) फिल्म प्रभाग - (जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों के लिए न्यूज़ रीलों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्रों के जरिए देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना का प्रचार एवं प्रसार करता है) इसमें भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का परिचालन व्यय भी शामिल है। इसके अलावा, युक्तिकरण के बाद, फिल्म प्रभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 से फिल्म प्रभाग की भवन अवसंरचना का उन्नयन के तहत व्यय को शामिल करता है।

(ख) फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) - जिसे सुरुचिपूर्ण सिनेमा का संवर्धन करने तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्का रों का आयोजन करने तथा साथ ही सिरी फोर्ट सभागार का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, युक्तिकरण के बाद, डीएफएफ वित्तीय वर्ष 2020-21 से सिरी फोर्ट परिसर के उन्नेयन को शामिल करता है जिसमें इसकी प्रक्षेपण प्रणाली, ध्वनि और प्रकाश तथा संचार प्रणाली का सुधार शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) - जो बेहतरीन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कालजयी फिल्मों का संरक्षण करने का कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से युक्तिकरण के बाद, एनएफएआई जयकर बंगला और डिजिटल लाइब्रेरी की स्था ापना सहित राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की अवसंरचना का उन्नयन स्कीम के तहत एनएफएआई परिसर के भीतर एक हैरिटेज बिल्डिं ग, जयकर बंगला को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकास को भी शामिल किया गया है।

(viii) इलेक्ट्रॉ निक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) इसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों/रेडियो द्वारा कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी करने का प्रावधान किया गया है। युक्तिकरण के बाद, वित्तीय वर्ष 2020-21 से, ईएमएमसी, "ईएमएमसी का सुदृढ़ीकरण" स्कीम के तहत उनके आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉ निक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर पर पूंजीगत व्यय शामिल करता है।

2.01. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसमें प्रसार भारती को सहायता अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है, जिसे प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए प्रसार भारती के संसाधनों के अंतराल को पाटने हेतु मुहैया कराया जा रहा है। प्रसार भारती प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) का प्रावधान इस स्की्म के तहत शामिल है।

3.01. **विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार:** इसमें विकास पर संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार (डीसीआईडी) स्कीम के तहत प्रावधान है।

3.02. **मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** इसमें आईआईएमसी को छोड़कर मीडिया अवसंरचना नेटवर्क विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत प्रावधान को वर्ष 2020-21 से बीओसी, पीआईबी, प्रकाशन विभाग और आरएनआई के तहत स्थापना व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

3.03. **मानव संसाधन विकास:** मानव संसाधन विकास (एचआरडी) स्कीम में (क) प्रसार भारती को छोड़कर मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण; (ख) अंतरराष्ट्री य मीडिया कार्यक्रम; (ग) नीति संबंधी सम्मेनलन आदि को भी वर्ष 2020-21 से लेकर स्थापना व्यय (मुख्य सचिवालय) और अन्य केंद्रीय व्यय (एफटीआईआई और एसआरएफटीआई) में स्था नांतरित कर दिया गया है।

4.01. **विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार:** विकास संचार एवं फिल्म संबंधी विषय-वस्तु का प्रसार (डीसीडीएफसी) स्कीम को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 से निम्नलिखित घटकों के लिए अवसंरचना विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत आवंटन को स्थापना व्यय और अन्य केंद्रीय व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है :-

(क) फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार के जरिए भारत और विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देना (मुख्य सचिवालय) - फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार में भागीदारी के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना।

(ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण

(ग) फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग (फिल्म प्रभाग)

(घ) अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण (एनएफएआई) -

(ङ) पाइरेसी रोधी पहलें

(च) अभी तक, एनएफएचएम फिल्म विंग के अंतर्गत एक पृथक स्कीम है। परंतु युक्तिकरण के कारण, वित्त वर्ष 2020-21 से डीसीडीएफसी स्कीम के प्रावधान को शामिल कर दिया गया है जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की फिल्मों को पुन प्रचलित करने, अभिलेखीय और संरक्षणात्मक सुविधा केंद्रों के निर्माण तथा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पुनस्थापित सामग्री के संरक्षण के लिए तहखानों के निर्माण के लिए अभिप्रेत हैं।

4.02. **फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम स्कीम में निम्न लिखित शामिल हैं:-

(क) सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण व विस्तार और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया - ऑनलाइन प्रमाणीकरण के जरिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए।

(ख) सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स का उन्नयन (डीएफएफ) - प्रक्षेपण प्रणाली, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था में उन्नयन और संचार प्रणाली में सुधार करने के लिए।

(ग) फिल्म प्रभाग की भवन-अवसंरचना का उन्नयन- यह कला और संस्कृति, कृषि, स्वास्थ्य और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों आदि जैसे विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्रों का निर्माण करता है।

(घ) जयकर बंगला सहित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) की अवसंरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करना - एनएफएआई परिसर के भीतर एक हैरिटेज बिल्डिंग, जयकर बंगला को एक डिजिटल पुस्तकालय के रूप में विकसित करने के लिए।

(ङ) एफटीआईआई (पुणे) के उन्नयन व आधुनिकीकरण हेतु सहायता-अनुदान - भारत में फिल्म और टेलीविजन शिक्षा के वैश्विक-स्तर के मानकों को प्राप्त करने हेतु एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण।

(च) एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास - फिल्म -निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रम बनाने की कला और तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए।

युक्तिकरण के पश्चात, उप-स्कीमों (क) से (घ) को सीबीएफसी, फिल्म प्रभाग, डीएफएफ और एनएफएआई के तहत स्थापना व्यय में स्थानांतरित किया गया है जबकि स्कीमों (ङ) और (च) को अन्य केंद्रीय व्यय श्रेणी के तहत एफटीआईआई और एसआरएफटीआई के साथ मिला दिया गया है।

4.03. **राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन:** अभी तक, एनएफएचएम फिल्म विंग के अंतर्गत एक पृथक स्कीम है। परंतु युक्तिकरण के कारण,

4.04. **चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजनाएं:** वाणिज्य विभाग की स्कीम नामतः चैपियन सेवा क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत संशोधित प्राक्कलन 2019-20 में शामिल एक नई स्कीम है।" इस नई स्कीम को भारत में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्रव्य-दृश्य सेवाएं भी सौंपी गई हैं।

5.01. **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन:** इसके प्रावधान में अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए आईआईएमसी की उन्नयन शामिल है। युक्तिकरण के कारण ये दो स्की में वित्त वर्ष 2020-21 से अन्य केंद्रीय व्यय के अंतर्गत आईआईएमसी के साथ मिला दी गई है। अत: वित्त वर्ष 2020-21 से अंतर्राष्ट्रीय मानक जनसंचार के तौर पर आईआईएमसी के उन्नयन की स्कीम बंद हो गई है।

5.02. **आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना:** यह प्रावधान आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र को खोलने के लिए है। युक्तिकरण के कारण ये दो स्की में वित्त वर्ष 2020-21 से अन्यप केंद्रीय व्यय के अंतर्गत आईआईएमसी के साथ मिला दी गई है। अत: वित्त वर्ष 2020-21 से आईआईएमसी के क्षेत्रीय केंद्र खोलने की स्कीम बंद हो गई है।

6.01. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र का सुद्ढीकरण:** इसका प्रावधान कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन का पता लगाने के लिए टेलीविजन चैनल/रेडियो की मानीटरिंग करने के लिए किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत किया गया पूंजीगत व्यय भी शामिल है। वर्ष 2020-21 से, इस स्कीम को ईएमएमसी के स्थापना व्यय के साथ मिला दिया गया है।

6.02. **भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता:** सामुदायिक रेडियो अभियान, विशेष रूप से उन समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए है, जिनमें अधिकतर लोग पढ़े-लिखे नहीं होते।

6.03. **मिशन डिजिटलीकरण:** बजट प्राक्कलन 2019-20 तक, यह सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) लगाने की प्रभावी निगरानी करने में सहायता के लिए एक अलग स्कीम थी। वर्ष 2020-21 से, इस स्कीम को स्थापना व्यय के तहत मुख्य सचिवालय के साथ मिला दिया गया है।

6.04. **प्रसारण विंग का स्वचालन:** बजट प्राक्कलन 2019-20 तक, यह नए टीवी चैनलों के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल का विकास करने के लिए एक अलग स्कीम थी। वर्ष 2020-21 से इस स्कीम को स्थापना व्यय के तहत मुख्य सचिवालय के साथ मिला दिया है।

7.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती में धारित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान शामिल है।

7.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एफटीआईआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई (पुणे) को सहायता-अनुदान के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।

7.03. **एसआरएफटीआई कोलकाता:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल है।

7.04. **बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई):** इसमें बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।

7.05. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से (i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन , (ii) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों को खोलना और (iii) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना के तहत पूर्ववर्ती स्कीम आवंटन शामिल हैं

7.06. **भारतीय प्रैस परिषद:** इसमें भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं